आदेश

दाखिल-खारिज वाद अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अंचल अधिकारी गाण्डेय द्वारा 11-6-99 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया । उक्त वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अपीलार्थी के तथ्यों को सुनने के पश्चात अपील वाद को अंगिकृत किया गया । विभिन्न तिथियों को दोनों पक्षों को सूचना दी गई । अभिलेख में अंचल अधिकारी द्वारा पारित दाखिल-खारिज वाद सं0 457/99-2000 मरियम बीबी पति केहर मियां मौजा करीवांक थाना गाण्डेय की प्रतिलिपि संलग्न है ।

इस वाद में दोनों पक्षों को नोटिश दिया गया । विभिन्न तिथियों को दोनों पक्षों द्वारा हाजिरी दी गई । इस वाद में अपीलार्थी को बार-बार सूचना दिये जाने के बाद भी हाजिर नहीं हुए जबकि प्रतिपक्षी की तरफ से मरियम बीबी द्वारा वकालतन हाजिरी दी गई । इस वाद में प्रतिपक्षी के वकील ने बहस में कहा कि मौजा करीवांक थानानं0 456 खाता नं0 10 प्लौट नं0 67 रकबा 62 डी0 भूमि गन्दौरी मियां और वासो मियां पिता स्व0 अलवदी मिया, वो वसीर मियां ने श्रीमती बुन्दिया देवी से बजरिये केवला सं0 6 6099 दिनांक 29-5-58 को प्राप्त किया था । उक्त खाता प्लौट में प्लौट नं0 67 रकबा 62 डी0 जिसमें गनौरी मियां एवं वासो को 31-31 डी0 भूमि हिस्से में मिला बाद में अपने जीवनकाल में ही गनौरी मियां ने अपनी पुत्र वहू मरियम बीबी के नाम से अपने हिस्से को 31 डी0 भूमि वसियतनामा लिख दिया । मरियम वसियत प्राप्त करने के बाद 31 डी0 भूमि पर दखलकार हुई जिसपर मकान बना-कर परिवार सहित रहती है शेष पर चहारदिवारी दिया हुआ है । विपक्षी के वकील ने कहा कि वसीयत के आधार पर अंचल अधिकारी गाण्डेय ने मौजा करीवांक के खाता नं0 10 प्लौट नं0 67 का दाखिल खारिज कर दिया जो सही है । चूंकि गनौरी मियां की खरीदगी भूमि है ।

अपीलार्थी के वकील ने कहा है कि गनौरी मियां के दूसरे पुत्र एतवारी मियां ने उक्त खाता प्लौट को 15 डी0 भूमि जुलेखा खातुन एवं कुरैशा खातुन के नाम बिक्री करदिया । अपीलार्थी मो0 मियां ने जुलेखा खातुन के शौहर की हैसियत से मामला दायर किया ।

विपक्षी का अपील है कि उपरोक्त जमीन गनौरी मियां की खरीदगी जमीन थी इसीलिए गनौरी मियां के पुत्र एतवारी मियां को प्रश्न-गत विवादग्रस्त भूमि पर न कोई हक है न था । चूंकि गनौरी मियां ने अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत 31 डी0 भूमि मरियम बीबी को वसियत कर चुके थे । इसलिए वाद में गनौरी मियां के पुत्र एतवारी मियां को मुश्किल

[illegible]

23/4/02

23/4/02

सत्तारी मियाँ द्वारा गलत तरीके से दखिल की गई भूमि का निबंधित संख्या 2053 दिनांक 24-10-98 को कुरेशा खातुन पति कलाम, समसुद्दीन मियाँ एवं जुलेखा खातुन पति महमूद मियाँ को बिक्री किया गया जो गलत है । अंचल अधिकारी ने जाँचोपरान्त मरियम बीबी के नाम से उक्त खाता नं0 10 प्लौट नं0 67 रकबा 31 डी0 भूमि का दाखिल-खारिज स्वीकृत कर लगान रसीद निर्गत किया है, वह सही है । इस प्रकार अंचल अधिकारी, गाण्डेय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलाथी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

23/4/2002

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह ।

लेखापित एवं सत्यापित

23/4/2002

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह ।